अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46 - DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	107825,41,00		107825,50,00	95934,87,77	-11890,62,23
पूरक	Supplementary	9,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11752,44,32
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	5632,57,00		5632,60,00	3050,81,91	-2581,78,09
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2532,09,96

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat- Social Services				
मू.	O.	24406.00	21209.76	21195.35	-14.41
पु.	R.	-3196.24			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"					
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits					
मू.	O.	264500.00				
पू.	S.	1.00		463067.43	463067.42	-0.01
पु.	R.	198566.43				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"					
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health					
मू.	O.	3942962.00				
पू.	S.	2.00		3863206.52	3850978.02	-12228.50
पु.	R.	-79757.48				
मुख्य शीर्ष "2211"	Major Head "2211"					
परिवार कल्याण	Family Welfare					
मू.	O.	293513.00				
पू.	S.	2.00		324436.88	322864.13	-1572.75
पु.	R.	30921.88				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	762093.00				
पू.	S.	2.00		1.09	..	-1.09
पु.	R.	-762093.91				

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	5357703.00				
पू.	S.	1.00		4756478.68	4756477.54	-1.14
पु.	R.	-601225.32				
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	125854.00				
				75060.16	75060.15	-0.01
पु.	R.	-50793.84				
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री और उपकरण	Major Head "3606" Aid Material and Equipments					
मू.	O.	11000.00				
पू.	S.	1.00		103814.61	103814.61	..
पु.	R.	-92813.61				

(I) बावन शीर्षों के अंतर्गत ₹801855.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹799814.50 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹801855.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023) remained wholly unutilized under fifty two heads; of these ₹799814.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(A) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research" -

(क) "ऐलोपैथी – स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹9050.00 लाख – राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नही होने के कारण।

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखाओं को अंतरण – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी एम एस एस एन) को निधियों का अंतरण" – ₹9050.00 लाख – राज्योंध्संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "परिवार कल्याण – निर्देशन और प्रशास" –

(i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" – ₹598.00 लाख;

(ii) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹25604.00 लाख;

(ख) "परिवार कल्याण – प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹163959.00 लाख;

(ग) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – ऐलोपैथी – केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना" – ₹3991.00 लाख;

(घ) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथी" –

(i) "नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग" – ₹45601.00 लाख

(a) "Allopathy - Human Resources for Health and Medical Education" - ₹9050.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from States.

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swatsthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" - ₹9050.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-receipt of viable proposals from States/ UTs.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Family Welfare-Direction and Administration" -

(i) "Regional Health Offices" - ₹598.00 lakhs;

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹25604.00 lakhs;

(b) "Family Welfare - Reproductive and Child Health Programme - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹163959.00 lakhs;

(c) "Urban Health Services - Allopathy - Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries and Hospitals" - ₹3991.00 lakhs;

(d) "Medical Education, Training and Research Allopathy" -

(i) "North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" -

(₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "रीजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल" – ₹56000.00 लाख;

(iii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एल जी बी आर एम एच आई), तेजपुर" – ₹7000.00 लाख;

(iv) "रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल और नर्सिंग साइंसेज (आर आई पी ए एन एस) आइजोल" – ₹13200.00 लाख;

(v) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹72480.00 लाख;

(ङ) "सार्वजनिक स्वास्थ्य – रोगों का निवारण और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय एड्स और एस टी डी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹25173.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण" – ₹800.00 लाख;

(iii) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम – ए बी एच आई एम)" – ₹41768.00 लाख;

(च) "सार्वजनिक स्वास्थ्य – अन्य व्यय" –

(i) "ट्रामा केंद्रों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता" – ₹600.00 लाख;

(ii) "आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) – राष्ट्रीय

₹45601.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹56000.00 lakhs;

(iii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - ₹7000.00 lakhs;

(iv) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - ₹13200.00 lakhs;

(v) "Human Resources for Health & Medical Education" - ₹72480.00 lakhs;

(e) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National AIDS and STD Control Programme" - ₹25173.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(ii) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - ₹800.00 lakhs;

(iii) "Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - ₹41768.00 lakhs;

(f) "Public Health - Other Expenditure" -

(i) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - ₹600.00 lakhs;

(ii) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) -

स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन आई एफ)" – ₹43020.00 लाख;

(छ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹5371.00 लाख;

(ii) "आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹14345.00 लाख;

(iii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथी" – ₹1660.00 लाख;

(iv) "सार्वजनिक स्वास्थ्य – रोग निवारण और नियंत्रण" – ₹840.00 लाख;

(v) "आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹13300.00 लाख;

(ज) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹64553.00 लाख;

(ii) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹12541.00 लाख;

(iii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथ" – ₹860.00 लाख;

(iv) "आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹7800.00 लाख; और

National Health Authority (NIF)" - ₹43020.00 lakhs;

(g) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹5371.00 lakhs;

(ii) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹14345.00 lakhs;

(iii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹1660.00 lakhs;

(iv) "Public Health-Prevention and Control of Diseases" - ₹840.00 lakhs;

(v) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹13300.00 lakhs;

(h) "Tribal Area Sub - Plan" -

(i) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹64553.00 lakhs;

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹12541.00 lakhs;

(iii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹860.00 lakhs;

(iv) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹7800.00 lakhs; and

(झ) "आरक्षित निधियों / जमा लेखाओं को अंतरण – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी एम एस एस एन) को अंतरण के लिए निधियां" – ₹139120.00 लाख।

(i) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi (PMSSN)" - ₹139120.00 lakhs.

उपर्युक्त चौबीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं / योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों / निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provisions under the above twenty four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई) – आर एस एस वाई – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना" – ₹2705.00 लाख;

(a) "Central Assistance/Share-Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY - National Health Protection Scheme" - ₹2705.00 lakhs;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई) – आर एस एस वाई – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना" – ₹895.00 लाख;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY - National Health Protection Scheme" - ₹895.00 lakhs;

(ग) "जनजतीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई) – आर एस एस वाई – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना" – ₹900.00 लाख;

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY - National Health Protection Scheme" - ₹900.00 lakhs;

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा – प्रधान मंर्त्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम ए बी एच आई एम)" – ₹10210.00 लाख;

(a) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - ₹10210.00 lakhs;

(ख) "केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम ए बी एच आई एम)" – ₹1711.00 लाख;

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - ₹1711.00 lakhs;

(ग) "अनुसूचित जातिओं के लिए विशेष घटक योजना – प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम ए बी एच आई एम)" – ₹3406.00 लाख; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम ए बी एच आई एम)" – ₹1703.00 लाख।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" के अंतर्गत – ₹3209.77 लाख की बचत (₹24401.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में दौरे किए जाने, कम संख्या में कार्यालय उपस्करों और पेरिफेरलों की खरीद किए जाने और स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – ऐलोपैथी" –

(क) "निर्देशन और प्रशासन – स्वास्थ्य सेवायें महानिदेशालय" – ₹1717.65 लाख की बचत (₹7597.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रप्त होने और अन्य स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "चिकित्सा भंडार डिपो – डिपो" – ₹1013.49 लाख की बचत (₹6359.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - ₹3406.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - ₹1703.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals, availability of unspent balances of previous year and non-compliance of Department of Expenditure's guidelines by some of the State/UT Governments.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Health & Family Welfare" - saving of ₹3209.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24401.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, procurement of less office equipments and peripherals and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(III) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy" -

(a) "Direction and Administration - Directorate General of Health Services" - saving of ₹1717.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7597.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical reimbursement claims and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(b) "Medical Stores Depot - Depots" - saving of ₹1013.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6359.00 lakhs) was due to

और मितव्यता उपायों के कारण रखरखाव संबंधी व्ययों और स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) "अस्पताल और औषधालय – डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹8693.52 काख की बचत (₹74000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने, कम रख रखाव और मितव्यता उपायों के कारण स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(क) "ऐलोपैथी" –

(i) "वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुदान" – ₹810.00 लाख की बचत (₹7819.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "केंसर अनुसंधान" – ₹1158.28 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11864.10 ₹0.10) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iii) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस के अस्पताल" – ₹8911.70 लाख की बचत (₹58418.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित

non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards maintenance related expenses and other establishment related expenses owing to economy measure.

(c) "Hospital & Dispensaries - Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of ₹8693.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹74000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less professionals, less maintenance and requirement of less funds towards other establishment related expenses owing to economy measures.

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(a) "Allopathy" -

(i) "Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi" - saving of ₹810.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7819.00 lakhs); and

(ii) "Cancer Research" - saving of ₹1158.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11864.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in March, 2023).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) "Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital" - saving of ₹8911.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58418.00 lakhs) was

प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने जी ई एम द्वारा खरीद प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने, अस्पताल के बिलों का निपटान नहीं किए जाने और कार्य की धीमी गति के कारण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के चलते हुई।

(iv) "ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर" – ₹9382.19 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान कानपुर में बडे सिविल कार्यों, रोगी आवास ब्लाक और संग्रहालय और उत्कृष्टता केन्द्र के लिए खरीद हेतु कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(v) "क्षेत्रीय स्नतकोत्तर केंद्र, जवाहर लाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जे आई पी एम ई आर), पुडुचेरी" – ₹7800.00 लाख की बचत (₹134000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भरती प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, और जेआई पी एम ई आर करईकनाल परिसर में अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(vi) "डा. आर एम एल स्नतकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, नई दिल्ली" – ₹1415.44 लाख की बचत (₹16380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रस्तावों में कटौती किए जाने और छपाई और प्रकाशन, कार्यालय उपकरणों की

due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds towards non-materialisation of procurement proposals from GeM, non -settlement of hospital bills and less utilization of funds by Central Public Works Department owing to slow pace of work.

(iv) "Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore" - saving of ₹9382.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards major civil works for All India Institute of Speech & Hearing at Kanpur, Patient Accommodation Block and Museum and procurement for Centre for Excellence.

(v) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry" - saving of ₹7800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹134000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to non-finalisation of recruitment process and delay in finalisation of proposal for construction of hospital in JIPMER Karaikal campus.

(vi) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi" - saving of ₹1415.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16380.00 lakhs) was due to reduction of provisions at revised estimates stage by the Ministry of Finance and

खरीद, बैठकें और कार्यशालायें वर्चुअल मोड में किए जाने और कम संख्या में व्यवसायियों को लेने के चलते कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(vii) "प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई)" – ₹62496.13 लाख की बचत (₹567313.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, दो एम्स में सेवाओं का प्रचालन नहीं होने और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एच ई एफ ए ऋण की मंजूरी मिलने के कारण हुई।

(viii) "राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिक आयोग" – ₹2320.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के चलते उन्हें धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियाँ" – ₹2000.00 लाख की बचत (₹80000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों के कम अंतरण के कारण हुई।

(गा) "सार्वजनिक स्वास्थ्य" –

(क) "निर्देशन और प्रशासन" –

(i) "वायुयान संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना" – ₹1090.26 लाख की बचत (₹5700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने, कम मात्रा में

requirement of less funds towards printing and publication, procurement of office equipments, conduction of meetings & workshops in virtual mode and less hiring of professionals.

(vii) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - saving of ₹62496.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹567313.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-operationalisation of services in two AIIMS and clearance of HEFA loan as per directions of the Ministry of Finance.

(viii) "National Commission for Allied & Health Care Profession" - saving of ₹2320.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-release of funds to various States/UTs owing to non-fulfilling of conditions as per guidelines.

(b) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to Nation Investment Fund" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs) was due to less transfer of funds.

(C) "Public Health" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Port Health Establishment including Airport Organisation" - saving of ₹1090.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5700.00 lakhs) was due to non-filing up of vacant posts, hiring

कार्यालय उपकरणों और पेरिफेरल की खरीद और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹111777.76 लाख की बचत (₹177900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और दवाओं और आपूर्ति की कम मात्रा में खरीद के कारण हुई।

(ख) "रोग निवारण और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली" – ₹549.59 (₹7570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने, कम मात्रा में कार्यालय उपकरण और पेरिफेरल खरीदने और रखरखाव और स्थापना संबंधी अन्य व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹37146.74 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में ₹0.22 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹236902.22 लाख के कुल स्वीकृत अनुदान की तुलना में) कम संख्या में गर्भ निरोधकों, दवाओं, परीक्षण किटों, वेक्सीनों और उपकरणों की खरीद, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने और कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

of less professionals, procurement of less office equipments and peripherals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Flexible Pool for RCH and Health System Strengthening National Health Programme and Urban Health Mission" - saving of ₹111777.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹177900.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure and less procurement of drugs and supplies.

(b) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease Control), Delhi" - savings of ₹549.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7570.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less professionals, procurement of less office equipments and peripherals and requirement of less funds towards maintenance and other establishment related expenses.

(ii) "National AIDS & STD Control Programme" - saving of ₹37146.74 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹236902.22 lakhs including token supplementary grant of ₹0.22 lakh obtained in December, 2022) was due to procurement of less contraceptives, medicines, testing kits, vaccines and equipments, hiring of less professionals and less receipt of

viable proposals.

(iii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" – ₹630.72 लाख की बचत (₹1455.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और व्यय की धीमी गति के चलते वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रस्ताव में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iii) "National Mental Health Programme" - saving of ₹630.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1455.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(iv) "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम" – ₹5630.31 लाख की बचत (₹6107.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और मितव्यता उपायों के चलते विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(iv) "National Programme for Health Care for the Elderly" - saving of ₹5630.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6107.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from States/UTs and requirement of less funds towards advertisement and publicity owing to economy measures.

(v) "टेलीमेडिसिन" – ₹644.61 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, कम संख्या में व्यवसायियों को लेने और टूर और विज्ञापनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(v) "Telemedicine" - saving of ₹644.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from States/UTs, hiring of less professionals and requirement of less funds towards tours and advertisements.

(vi) "अभिघात केंद्रों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता" – ₹816.04 लाख की बचत (₹860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैठकें और कार्यशालायें वर्चुअल मोड में किए जाने, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्रप्त होने के कारण हुई।

(vi) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - saving of ₹816.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹860.00 lakhs) was due to conduction of meetings and workshops in virtual mode, requirement of less funds towards advertisement and publicity and less receipt of viable proposals.

(vii) "एन सी डी सी ब्रांचों की स्थापना और सुदृढीकरण और स्वास्थ्य पहल – जराएटिक रोगों और अन्य उपेक्षित ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रोगों की तैयारी और

(vii) "Establishment and strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives-Inter Sectoral Co-ordination for Preparation and Control

उन्हें रोकने के लिए अंतर क्षेत्रीय सहयोग, वायरल हेपेटाइटिस माइक्रो बायल प्रतिरोधकता की निगरानी" – ₹1848.54 लाख की बचत (₹4590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और बैठकें और कार्यशालाओं के आयोजन, व्यवसायियों को लेने, कार्यालय उपकरणों और पेरिफेरलों कीख खारीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता और व्यय की धीमी गति के चलते वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

of Zoonotic diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti-Microbial Resistance" - saving of ₹1848.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4590.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and requirement of less funds towards conduction of meetings and workshops, hiring of professionals, procurement of office equipments and peripherals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(viii) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम – ए बी एच आई एम)" – ₹29347.71 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.11 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹58069.11 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यालय उपकरणों और पेरिफेरलों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कम संख्या में व्यवसायियों को लेने के कारण हुई।

(viii) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹29347.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹58069.11 lakhs including token supplementary grant of ₹0.11 lakh obtained in December, 2022) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure, receipt of less proposals and requirement of less funds towards procurement of office equipments and peripherals and hiring of less professionals.

(ग) "औषधि नियंत्रण – केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन" – ₹1559.97 लाख की बचत (₹15088.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में चिकित्सा बिल प्राप्त होने, कम व्यवसायियों को रखने और कार्यालय उपकरणों और पेरिफेरलों की खरीद और मितव्यता उपायों के चलते रखरखाव संबंधी कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(c) "Drug Control - Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹1559.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15088.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less receipt of medical claims, hiring of less professionals and requirement of less funds towards procurement of office equipments and peripherals and maintenance related work owing to economy measures.

(घ) "सेरा/वेक्सीन का निर्माण – बी सी जी वेक्सीन लेबोरटरी, गुंडी, चेन्नई" – ₹701.75 लाख की बचत (₹2945.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विक्रेताओं से रबर की आपूर्ति नहीं होने, पशु घर रखरखाव के लिए अनुमोदन नहीं मिलने, कम व्यवसायियों को लेने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ड) "सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें – केंद्रीय अनुसंधान संस्थान – केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" – ₹817.50 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.11 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5973.11 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, मितव्यता उपायों के चलते रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(च) "अन्य व्यय" –

(i) "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" – ₹5111.87 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10500.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत नई पहल" – ₹827.25 लाख की बचत (₹2038.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और विज्ञापन और प्रचार और घरेलू टूर और व्यवसायियों को लेने के कारण कम निधियों की आवश्यकता के

(d) "Manufacture of Sera/Vaccine - B.C.G.Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of ₹701.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2945.00 lakhs) was due to non-supply of rubbers by vendors, delay in receipt of approval for maintenance of animal house, less hiring of professionals, non-filing up of vacant posts and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(e) "Public Health Laboratories - Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹817.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5973.11 lakhs including token supplementary grant of ₹0.11 lakh obtained in December, 2022) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards maintenance related works owing to economy measures and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(f) "Other Expenditure" -

(i) "Rashtriya Arogya Nidhi" - saving of ₹5111.87 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10500.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in March, 2023) was due to less receipt of viable proposals as per guidelines of the scheme.

(ii) "New Initiatives under Central Schemes" - saving of ₹827.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2038.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less receipt of viable proposals and requirement of less funds towards advertisement and

कारण हुई।

(iii) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया" – ₹694.14 लाख की बचत (₹1313.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मात्रा में सामग्री की खरीद और आपूर्ति, स्थापना संबंधी अन्य व्यय और कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण कम निधियों की आवश्यक्ता के कारण हुई।

(iv) "आपदा चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास" – ₹1581.49 लाख की बचत (₹6405.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(v) "राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन" – ₹11605.53 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने, कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और विज्ञापन और प्रचार और आई टी पेरिफेरल की खरीद पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(vi) "रक्त आधान सेवा" – ₹23831.01 लाख की बचत (₹38376.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ) से सेवायें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को अंतरित किए जाने, कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ब्लड बैग और परीक्षण किटों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

publicity, domestic tours and hiring of professionals.

(iii) "Health Sector Disaster Preparedness and Response" - saving of ₹694.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1313.00 lakhs) was due to procurement of less material and supplies, requirement of less funds towards other establishment related expenses and less receipt of viable proposals.

(iv) "Human Resources Development for Emergency Medical Services" - saving of ₹1581.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6405.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and requirement of less funds towards establishment related expenses.

(v) "National Digital Health Mission" - saving of ₹11605.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates state by the Ministry of Finance, less receipt of viable proposals and requirement of less funds towards advertisement and publicity and procurement of IT peripherals.

(vi) "Blood Transfusion Service" - saving of ₹23831.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38376.00 lakhs) was due to transfer of services from National Aids Control Organization (NACO) to Directorate General of Health Service, less receipt of viable proposals and requirement of less funds towards procurement of

blood bags and testing kits for States/UTs.

(घा) "सामान्य – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुदान" – ₹551.66 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्चुअल मोड में बैठकें और कार्यशालायें आदि आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(D) "General - International Cooperation - Grants for International Conferences on Medical and Public Health" - saving of ₹551.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to conduction of meetings and workshops in virtual mode.

(IV) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(IV) Under Major Head "2211" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निर्देशन और प्रशासन" –

(A) "Direction and Administration" -

(क) "राष्ट्रीय एन आर एच एम प्रबंधन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण" – ₹2507.76 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम व्यवसायियों को लेने, व्यक्तिगत दावों, बैठकों और कार्यशालाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता और कम संख्या में कार्यालय उपकरणों और पेरिफेरलों की खरीद के कारण हुई।

(a) "Strengthening National Programme Management of the NRHM" - saving of ₹2507.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals, non-filling up of vacant posts, hiring of less professionals, requirement of less funds towards personal claims, meetings and workshops and less procurement of office equipments and peripherals.

(ख) "अवसंरचना रखरखाव – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र" – ₹1532.94 लाख की बचत (₹4000.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और वेतन, चिकित्सा, घरेलू यात्रा, सामग्री और आपूर्तियों, कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Infrastructure Maintenance - UTs without legislature" - saving of ₹1532.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.60 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and receipt of less claims under salaries, medical, domestic travel, material and supplies, office and other administrative expenses.

(खा) "प्रशिक्षण" –

(B) "Training" -

(क) "अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई" – ₹2857.00 लाख की बचत (₹8484.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमानित समय सीमा के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) द्वारा कार्य पूरा नहीं किए जाने, कम

(a) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹2857.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8484.00 lakhs) was due to non-completion of work by Central Public Works

खरीद मितव्यता उपायों के चलते रखरखाव संबंधी कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़" – ₹1151.46 लाख की बचत (₹3398.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम व्यवसायियों को लेने, कम संख्या में कार्यालय पेरिफेरल और उपकरणों की खरीद, कम संख्या में बैठकों और कार्यशालाओं के आयोजन, उप केंद्रों के किराये के लंबित बिल प्राप्त नहीं होने और कम वेक्सीनों की खरीद के कारण हुई।

(गा) "जन शिक्षा – स्वस्थ नागरिक अभियान (एस एन ए)" – ₹1063.92 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवसायियो को लेने और विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(घा) "अन्य सेवाएं और आपूर्ति – गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" – ₹2744.48 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवसायियॉ को लेने और विक्रेताओं से कम संख्या में बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹303017.00 लाख की बचत (₹426523.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Department (CPWD) as per anticipated timelines, less procurement and requirement of less funds towards maintenance related work owing to economy measures.

(b) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" - saving of ₹1151.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3398.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less professionals, procurement of less office peripherals and equipments, conduction of less meetings and workshops, non-receipt of pending bills towards rent of sub-centers and less procurement of vaccines.

(C) "Mass Education - Swastha Nagrik Abhiyan (SNA)" - saving of ₹1063.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to hiring of less professionals and requirement of less funds towards advertisement and publicity.

(D) "Other Services and Supplies - Social Marketing of Contraceptives" - saving of ₹2744.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to hiring of less professionals and less receipt of bills from vendors.

(V) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹303017.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹426523.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from State Governments.

(ख) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम ए बी एच आई एम)" – ₹171464.00 लाख की बचत (₹216425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹5076.45 लाख की बचत (₹5700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान क्खी तुलना में) हुई;

(घ) "विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम/योजनायें" – ₹6060.95 लाख की बचत (₹16772.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना" – ₹1530.50 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹1674.89 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹104056.00 लाख की बचत (₹150055.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम/योजनायें" – ₹2816.33 लाख की बचत (₹4290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम ए बी एच आई एम)" – ₹52637.00 लाख की बचत (₹71377.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹171464.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹216425.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and less receipt of viable proposals.

(c) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹5076.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5700.00 lakhs);

(d) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹6060.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16772.00 lakhs);

(e) "Senior Citizens Health Insurance Scheme" - saving of ₹1530.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹1674.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs);

(b) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹104056.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150055.00 lakhs);

(c) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹2816.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4290.00 lakhs);

(d) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹52637.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71377.00 lakhs);

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण" – ₹763.66 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹51337.00 लाख की बचत (₹78172.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम ए बी एच आई एम)" – ₹16714.00 लाख की बचत (₹31406.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और कुछ राज्य सरकारों द्वारा व्यय विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण हुईं।

(घा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अंतरण प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी एम एस एस एन) में अंतरण के लिए निधियां" – ₹422598.00 लाख की बचत (₹1638550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत – बचतें निम्न लिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹6851.00 लाख की बचत (₹7597.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹763.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(b) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹51337.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78172.00 lakhs); and

(c) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹16714.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31406.00 lakhs).

Savings under the above ten heads were due to less receipt of viable proposals, availability of unspent balances of previous year and non-compliance of Department of Expenditure's guidelines by some of the State Governments.

(D) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" - saving of ₹422598.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1638550.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹6851.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7597.00 lakhs);

(ख) "आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹12265.09 लाख की बचत (₹64910.00 लाख के स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) हुई;

(ग) "अवसंरचना का रख–रखाव" – ₹2210.26 लाख की बचत (₹13481.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान क्खी तुलना में) हुई;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹2138.00 लाख की बचत (₹2390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹668.89 लाख की बचत (₹4211.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹1064.00 लाख की बचत (₹1213.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने, पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा व्यय विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण हुई।

(घा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं में अंतरण – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी एम एस एस एन) में अंतरण" – ₹10053.00 लाख की बचत (₹11200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए

(b) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - saving of ₹12265.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64910.00 lakhs);

(c) "Infrastructure Maintenance" - saving of ₹2210.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13481.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹2138.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2390.00 lakhs);

(b) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - saving of ₹668.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4211.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub Plan - Human Resources for Health & Medical Education" - saving of ₹1064.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1213.00 lakhs).

Savings under the above six heads were due to less receipt of viable proposals, availability of unspent balances of previous year and non-compliance of Department of Expenditure's guidelines by some of the Union Territory Governments.

(D) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" - saving of ₹10053.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11200.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from Union Territory Governments and reduction of

जाने के कारण हुई।

(VII) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2737.56 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु, ₹500.00 लाख से अधिक थीं और स्वीकृत प्रावधान का 10 से 94 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹1072958.73 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में निम्न लिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹9.00 लाख रुपए की सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर किया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – सी जी एच एस पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार – केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी" – ₹198566.43 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹198566.42 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य योजनायें – ऐलोपैथी – अस्पताल और औषधालय – सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹916.72 लाख। तथपि, वास्तविक अधिक व्यय ₹906.09 लाख था।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथी" –

(i) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹3579.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹3413.94 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर" – ₹11800.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹11803.61 लाख था।

(iii) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान" – ₹1000.00

provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VII) Under seven heads savings of ₹2737.56 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 94 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹1072958.73 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹9.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads:-

(A) Major Head "2071" - "Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners - Central Government Pensioners" - ₹198566.43 lakhs. Actual excess, however, was ₹198566.42 lakhs.

(B) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy-Hospital & Dispensaries - Safdarjung Hospital, New Delhi" - ₹916.72 lakhs. Actual excess, however, was ₹906.09 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(i) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - ₹3579.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3413.94 lakhs.

(ii) "Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore" - ₹11800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11803.61 lakhs.

(iii) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research,

लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹999.90 लाख था।

(iv) "कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा को सेवाग्राम में चिकित्सा कालेज के लिए अनुदान" – ₹1797.00 लाख।

(v) "नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग" – ₹48000.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹45824.86 लाख था।

(vi) "रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल" – ₹61826.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹61825.95 लाख था।

(vii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ (एल जी बी आर आई एच एम), तेजपुर" – ₹5830.00 लाख।

(viii) "रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (आर आई पी ए एन एस), आइजोल" – ₹10850.00 लाख।

(ix) "राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली" – ₹8264.00 लाख।

(ग) "सार्वजनिक स्वास्थ्य" –

(i) "प्रशिक्षण – नर्सिंग सेवाओं का विकास" – ₹407.39 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹407.04 लाख था।

(ii) "रोग निवारण और नियंत्रण – राष्ट्रीय टेली मानसिक कार्यक्रम" – ₹6548.79 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹6548.78 लाख था।

Chandigarh" - ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹ 999.90 lakhs.

(iv) "Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram" - ₹1797.00 lakhs.

(v) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" - ₹48000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹45824.86 lakhs.

(vi) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹61826.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹61825.95 lakhs.

(vii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - ₹5830.00 lakhs.

(viii) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - ₹10850.00 lakhs.

(ix) "National Institute of Tuberculosis and Respiratory Disease New Delhi" - ₹8264.00 lakhs.

(c) "Public Health" -

(i) "Training - Development of Nursing Services" - ₹407.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹407.04 lakhs.

(ii) "Prevention and Control of Diseases - National Tele Mental Programme" - ₹6548.79 lakhs. Actual excess, however, was ₹6548.78 lakhs.

(iii) "खाद्य अपमिश्रण निवारण – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" – ₹28924.90 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹28676.07 लाख था।

(iv) "सेरा/वेक्सीन का निर्माण – पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर को अनुदान" – ₹1157.99 लाख।

(घ) "सामान्य" –

(i) "आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (पी एम एस एस एन)" – ₹25824.77 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹25785.25 लाख था।

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (पी एम एस एस एन)" – ₹7914.57 लाख।

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (पी एम एस एस एन)" – ₹7800.00 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष "2211" – "निर्देशन और प्रशासन – राष्ट्रीय पी एम – बी एच आई एम प्रबंध कार्यक्रम" – ₹6117.12 लाख।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

(क) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹333539.50 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय

(iii) "Prevention of food adulteration - Food Safety and Standards Authority of India" - ₹28924.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹28676.07 lakhs.

(iv) "Manufacture of Sera/Vaccine - Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" - ₹1157.99 lakhs.

(d) "General" -

(i) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority (PMSSN)" - ₹25824.77 lakhs. Actual excess, however, was ₹25785.25 lakhs.

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹7914.57 lakhs.

(iii) "Tribal Area Sub-Plan - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹7800.00 lakhs.

(C) Major Head "2211" - "Direction and Administration - National Programme Management of the PM-ABHIM" - ₹6117.12 lakhs.

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹333539.50 lakhs. Actual

₹333538.80 लाख था।

(ii) "अवसंरचना रखरखाव" – ₹69932.00 लाख।

(ख) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें – केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹14130.00 लाख।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "एफ डब्ल्यू – अवसंरचना रखरखाव (प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी एम एस एस एन) से सहायता)" – ₹17371.00 लाख।

(ii) "आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹22514.68 लाख।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम/योजना" – ₹787.44 लाख ।

(ii) "एफ डब्ल्यू – अवसंरचना रखरखाव (प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी एम एस एस एन) से सहायता)" – ₹18441.00 लाख।

(iii) "आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹66304.82 लाख। तथापि, वास्तविक, अधिक व्यय ₹66304.40 लाख था।

excess, however, was ₹333538.80 lakhs.

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹69932.00 lakhs.

(b) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹14130.00 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "FW - Infrastructure Maintenance (Support from Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi-PMSSN)" - ₹17371.00 lakhs.

(ii) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹22514.68 lakh.

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Tertiary Care Programme/Schemes" - ₹787.44 lakhs.

(ii) "FW - Infrastructure Maintenance (Support from Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi-PMSSN)" - ₹18441.00 lakhs.

(iii) "Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - ₹66304.82 lakhs. Actual excess, however, was ₹66304.40 lakhs.

(डा) मुख्य शीर्ष "3606" – "यू एन आई सी ई एफ से सहायता – राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम और पोलियो निवारण को सुदृढ़ बनाने के लिए सामग्री सहायता" – ₹92813.61 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – ऐलोपैथी" –

(i) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालय/अस्पताल स्थापित करना" – ₹503.53 लाख का अधिक व्यय (₹177216.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग किए जाने और सी जी एच एस औषधालयों के लिए दवाओं की खरीद के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "चिकित्सा भंडार डिपो – भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद" – ₹4786.44 लाख का अधिक व्यय (₹31000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और टीकों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पी एम एस एस एन) में अंतरण के लिए निधियां" – ₹39747.96 लाख का अधिक व्यय (₹577080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों

(E) Major Head "3606" - "Assistance from UNICEF - Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" - ₹92813.61 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/ Hospitals" - excess of ₹503.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹177216.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds for procurement of medicines for CGHS dispensaries.

(ii) "Medical Store Depot - Purchase of Materials in India and Abroad" - excess of ₹4786.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of medical equipments, medicines and vaccines.

(b) "General - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" - excess of ₹39747.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹577080.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on

का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" – "निर्देशन और प्रशासन – आर सी एच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए फ्लैक्सी पूल" – ₹35990.82 लाख का अधिक व्यय (₹171000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा उपकरणों, वेक्सीन और दवाओं की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण" – ₹802.00 लाख का अधिक व्यय (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को अनुदान जारी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "विशिष्ट परिचर्या कार्यक्रम / योजना" – ₹849.48 लाख क अधिक व्यय (₹75.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को अनुदान देने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(III) एक शीर्षों के अंतर्गत ₹429.34 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआ :–

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2211" - "Direction and Administration - Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission" - excess of ₹35990.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹171000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of medical equipments, vaccines and medicines.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(a) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - excess of ₹802.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of grants to Union Territory of Jammu and Kashmir.

(b) "Tertiary Care Programme/Scheme" - excess of ₹849.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards grants to Union Territory of Delhi.

(III) Under one head excess of ₹429.34 lakhs occurred, constituting 21 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	553736.00			
पू.	S.	2.00	307608.79	302943.79	-4665.00
पु.	R.	-246129.21			
मुख्य शीर्ष "4211"	Major Head "4211"				
परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Family Welfare				
मू.	O.	884.00			
			443.29	213.62	-229.67
पु.	R.	-440.71			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	3637.00			
पू.	S.	1.00	1997.96	1924.50	-73.46
पु.	R.	-1640.04			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5000.00			

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹8084.10 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें ₹7050.10 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों अंतर्गत लेखाबद्ध थे।

(I) Provision of ₹8084.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹7050.10 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" – "सार्वजनिक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम – रक्त आघान सेवा – केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनायें – मेट्रो ब्लड बैंक" – ₹2050.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) – ब्लड बैंकों का निर्माण कार्य शुरू न होने, परियोजना के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, कम संख्या में उपकरणों की खरीद और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण ।

(A) Major Head "4210" - "Public Health - Other Programmes - Blood Transfusion Service- Central Sector Projects Metro Blood Bank" - ₹2050.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) - due to non-initiation of construction of blood banks, non-availability of projects proposals, less procurement of equipments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान ऐलोपैथी – प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई)" – ₹5000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग इए जाने के कारण।

(B) Major Head "4552" - "Medical Education, Training and Research Allopathy - Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹5000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(II) Under Major Head "4210" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें" –

(A) "Urban Health Services" -

(क) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालय/अस्पताल स्थापित किया" – ₹2591.09 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3793.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना) परियोजना उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई।

(a) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - saving of ₹2591.09 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3793.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in December, 2022) was due to non-availability of projects.

(ख) "अस्पताल और औषधालय" –

(b) "Hospitals and Dispensaries" -

(i) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹991.75 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक

(i) "Safdarjung Hospital, New Delhi" - saving of ₹991.75 lakhs (against the total sanctioned provision of

अनुदान सहित ₹10790.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज (वी एम एम सी) के लेक्चर और आडिटोरियम परियोजना के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ii) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹2779.50 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना संपादित नहीं होने से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(iii) "अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई" – ₹812.32 लाख की बचत (₹833.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशिष्टियों की आवश्यकता के कारण जी ई एम के माध्यम से मशीनरी उपकरण की खरीद को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और कार्यशाला भवन के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण में विलंब के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथी" –

(क) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस के अस्पताल" – ₹4565.44 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12182.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खराब प्रत्युत्तर के कारण रेडिएशन आन्कोलोजी की निविदा रद्द होने और अस्पताल के बिलों का निपटारा हो पाने के कारण हुई।

₹10790.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in December, 2022) was due to non-utilisation of funds by Central Public Work Department for Lecture and Auditorium Project at Vardhman Mahavir Medical College (VMMC).

(ii) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of ₹2779.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) was due to non-utilisation of funds by Central Public Work Department owing to non-execution of projects.

(iii) "All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Mumbai" - saving of ₹812.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹833.00 lakhs) was due to non-materialisation of procurement of machinery equipment through GeM owing to specification requirements and delay in redevelopment and reconstruction of workshop building.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" - saving of ₹4565.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12182.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in December, 2022) was due to cancellation of tender for radiation oncology owing to poor response and non-settlement of hospital bills.

(ख) "प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई)" – ₹180539.94 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.09 लख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹427487.09 लाख के कुल स्वीकृत अनुदान की तुलना मे) खराब प्रत्युत्तर के कारण् रेडिएएशन आन्कोलोजी की निविदा रद्द हो जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं कर पाने के कारण हुई।

(b) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - saving of ₹"180539.94 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹427487.09 lakhs including token supplementary of ₹0.09 lakh obtained in December, 2022) was due to cancellation of tender for Radiation Oncology owing to poor response and non-utilisation of funds by Central Public Works Department.

(गा) "सार्वजनिक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(C) "Public Health - Other Programmes" -

(क) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र" – ₹3128.00 लाख की बचत (₹4615.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना/प्रस्ताव उपलब्ध नहीं होने और उपकरणों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(a) "National Centre for Disease Control" - saving of ₹3128.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4615.00 lakhs) was due to non-availability of project/ proposals and requirement of less funds towards procurement of equipments.

(ख) "केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली" – ₹4069.69 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4527.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग (आई पी एच) द्वारा वर्षा जल संचयन से संबंधित कार्य को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹4069.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4527.09 lakhs including token supplementary grant of ₹0.09 lakh obtained in December, 2022) was due to non-finalization of work relating to rain water harvesting tank by Irrigation & Public Health(IPH) Department.

(ग) "केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन" – ₹748.82 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.09 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2912.09 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एच एल एल इन्फ्रा टेक सर्विसेज (एच आई ई टी एस) को भारतीय भेषज संहिता आयोग गाजियाबाद में निर्माण कार्य करने के लिए निधियां जारी करने का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(c) "Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹748.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2912.09 lakhs including token supplementary of ₹0.09 lakh obtained in December, 2022) was due to non-receipt of approval for releasing of funds to HLL Infra Tech Services (HIETS) for construction work at Indian Pharmacopoeia Commission Ghaziabad.

(घ) "डब्ल्यू एच ओ – एस ई आर ओ भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण" – ₹5700.00 लाख की बचत (₹8700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(d) "Reconstruction of WHO-SERO Building, New Delhi" - saving of ₹5700.00 lakhs (against the sanctioned provision of

परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और अनुक्रिया" – ₹3223.24 लाख की बचत (₹5282.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(च) "प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पी एम ए बी एच आई एम)" – ₹38483.59 लाख की बचत (₹41818.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजनाओं/प्रस्तावों की उपलब्धता न होने और उपकरणों की कम अधिप्राप्ति के कारण हुई।

(छ) "पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹548.49 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के तुलना में) हुई;

(ज) "एन सी डी सी शाखाओं और स्वास्थ्य पहल की स्थापना और सुदृढ़ीकरण – जरॅटिक रोगों और अन्य उपेक्षित ऊष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के रोगों के लिए तैयारी और नियंत्रण, वायरल हेपेटाइटिस, एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध की निगरानी के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वयन" – ₹1526.82 लाख की बचत (₹2565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4211" – "अन्य व्यय – परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुम्बई के अंतर्गत" – ₹644.38 लाख की बचत (₹858.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – अन्य आवासन – सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" के अंतर्गत – ₹1070.45 लाख की बचत (₹2037.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

₹8700.00 lakhs) was due to non-availability of project proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Health Sector Disaster Preparedness and Response" - saving of ₹3223.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5282.00 lakhs); and

(f) "Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)" - saving of ₹38483.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41818.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-availibility of projects/proposals and less procurement of equipment.

(g) "Port Health Authority" - saving of ₹548.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs);

(h) "Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - Inter Sectoral Co-ordination for preparation and Control of Zoonotic Diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti Microbial Resistance" - saving of ₹1526.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2565.00 lakhs).

(III) Under Major Head "4211" - "Other Expenditure - Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai" - saving of ₹644.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹858.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing - Safdarjung Hospital, New Delhi" - saving of ₹1070.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2037.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें परियोजनायें/ प्रस्ताव उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई।

Savings under the above four heads were due to non-availability of project/proposals.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹310.40 लाख की बचत स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹310.40 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹3515.04 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

4. The above savings were partly (₹3515.04 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under Major Head "4210" - under the following heads:-

(I) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – अस्पताल और औषधालय – केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची" – ₹698.04 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹694.52 लाख था।

(I) "Urban Health Services - Hospital & Dispensaries - Central Institute of Psychiatry, Ranchi - ₹698.04 lakhs. Actual excess, however, was ₹694.52 lakhs.

(II) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथी" –

(II) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(का) "डा. आर एम एल पी जी चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" – ₹2300.00 लाख। तथापि, वस्तविक अधिक व्यय ₹1608.73 लाख था।

(A) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research" - ₹2300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1608.73 lakhs.

(खा) "राज कुमारी अमृत कौर कालेज ऑफ नर्सिंग, नई दिल्ली" – ₹517.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹516.91 लाख था।

(B) "Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi" - ₹517.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹516.91 lakhs.

5. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन):–

5. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN):-

सरकार की गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और उसका वित्तपोषण करने तथा सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली मूलभूत शिक्षा तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा मुहैया कराने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, वित्त लेखे 2018 की धारा 2(13) में आयकर पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 12/03/2021 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 11/सीएम/2021(i) के तहत लोक लेखे में एक एकल गैर–व्यपगत निधि के रूप में

To fulfill the commitment of Government to provide and finance quality health services and universalized quality basic education and Secondary and Higher Education, Section 2 (13) of Finance Account 2018 provide for levying of Health and Education Cess on income tax at the rate of 4 percent. The Central Government constituted the 'Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi' as a single non-lapsable fund in the Public Account vide Cabinet

'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' का गठन किया गया है।

decision No. 11/CM/2021(i) dated 12/03/2021 of Cabinet Secretariat.

स्वास्थ्य (पीएमएसएस) के अंतर्गत स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर से कुल आय के 25% आय का वितरण (स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के 4% में से 1% के समकक्ष) किया जाता है। स्वास्थ्य उपकर से प्राप्त आय से मंत्रालय द्वारा चिह्नित स्कीमों / कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया जाएगा और तदनुसार स्कीमों के अंतर्गत डीडीजी में उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे।

The distribution of proceeds from Health and Education Cess under Health (PMSS) is 25% of total proceeds (equivalent to 1% out of 4% of Health & Education Cess). The proceeds from Health Cess will finance the schemes/programmes identified by the Ministry and accordingly suitable provisions will be made in the DDG under the schemes.

स्वास्थ्य उपकर का हिस्सा लोक लेखे के बिना ब्याज वाले भाग के जरिए दिया जाएगा जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हिस्से को अंतरित किया जाएगा।

The share of Health Cess will be routed through non-interest bearing section of Public Account into which the portion relating to Ministry of Health and Family Welfare will be transferred.

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) का वर्ष 2022–23 का लेखा इस प्रकार है:–

Account of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN) for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां	Receipt	18339,26,97
अदायगियां	Payments	18339,26,97
अंतशेष	Closing Balance	शून्य Nil